



2026/AHC/27272

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 312/2026

विशाल यादव@पछत्तर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: प्रमोद कुमार विश्वकर्मा

विपक्षी के अधिवक्ता

: बिनोद कुमार यादव, सरकारी अधिवक्ता

कोर्ट नंबर-3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और साथ ही सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों के अनुसार वह सहमति देने वाली पक्ष थी। उन्होंने आगे कहा कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता (गवाह 2) ने अपने बयान में आवेदक के खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, जिसका बयान जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के अनुलग्नक-6 के रूप में दाखिल किया गया है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को संदेह से परे साबित करने और आवेदक को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को साबित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर अदालत के समक्ष निष्ठापूर्वक उपस्थित रहेगा तथा अदालत द्वारा उस पर लगाई जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद वह यह तर्क देता है कि आवेदक 21.02.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है कि मुकदमे की समाप्ति से पहले आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पीड़िता ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित कर दिया गया है।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक विशाल यादव उर्फ पच्छतर को, अपराध संख्या 567/2024 में, बीएनएस की धारा 137(2), 87, 65(1) और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम की धारा 5(जे)(ii)/6, 16/17 के तहत, पुलिस स्टेशन- लाइन बाजार, जिला- जौनपुर में, व्यक्तिगत मुचलका भरने और दो स्थानीय जमानतदारों को, प्रत्येक समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
6. उपरोक्त उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"